



पं. राविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 14 / 10 / 2014
को समय अपराह्न 4.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पूर्ण प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, History	60	2014–15	1. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अध्ययनशाला 2. प्रो. प्रमोद शर्मा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला 3. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव अध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रबंध संस्थान	निरीक्षण तिथि :— 25.09.2014 शासकीय नवीन महाविद्यालय फिंगेश्वर में बी.ए.-II- 60 सीट, बी.एस-सी. Biology पार्ट-2 60 सीट एवं बी.काम. पार्ट-2 के लिए 60 सीट सत्र 2014–15 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु वि.वि. के आदेश क्रमांक 807/अका. /2014 रायपुर दिनांक 23.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में 25.09.2014 को समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन निम्नानुसार है।
		B.Sc. -II - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60			1. महाविद्यालय में एक स्थायी प्राचार्य, एक सहायक प्राध्यापक रसायन नियमित है। 09 सहायक प्राध्यापकों के स्थायी पदों के विरुद्ध 09 अतिथि प्राध्यापक सभी विषयों में नियुक्त हैं। अशैक्षणिक पद में 03 सहायक एवं 02 भूत्य नियुक्त है। 03 तकनीशियन के पद विज्ञापित है।
		B.Com.-II - (Compulsory Subject)	60			2. महाविद्यालय शा.उ.मा. विद्यालय में संचालित है विद्यालय के द्वारा एक नया भवन जिसमें 06 कक्षा है जो महाविद्यालय को पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। 3. ग्रन्थागार में 3500 पुस्तकें संबंधित विषयों के हैं। वाणिज्य विषय में अतिरिक्त पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण पर्याप्त है। 06 कम्प्यूटर भी है खेल सामग्री उपलब्ध है। प्रयोगशाला सुव्यवस्थित की जानी है। 5. प्राचार्य ने सूचित किया कि भूमि/भवन की कार्यवाही शासन स्तर पर जारी है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
2	स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला—महासुन्दर	बी.एस—सी. पार्ट—III आ.पा.—हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र	60	2014–15	1. प्रो. के.के. घोष, अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. बी.एस. छाबड़ा, प्राचार्य, शासकीय महावि. अभनपुर	<u>निरीक्षण तिथि : 11.09.2014</u> आज दिनांक 11.09.2014 को स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना में बी.एस—सी. भाग—3 (बायो) तथा बी.काम. भाग—3 की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया। वर्तमान में रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र विषय में एक—एक अतिथि व्याख्याता एवं वाणिज्य विषय में एक अतिथि व्याख्याता तथा 2 जनभागीदारी व्याख्याता कार्यरत हैं। अधोसंरचना पर्याप्त है। और अधीक्ष प्रयोगशाला में उपकरण, गैस तथा प्रयोगशाला सामग्री की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार कुछ अतिरिक्त विषयवार पुस्तकें क्रय करना उचित होगा। अतः बी.एस.सी. भाग—3 में 60 एवं बी.काम. पार्ट—III में 50 सीटों की सम्बद्धता दी जा सकती है।
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला—महासुन्दर	B.Com. -III Compulsory Subjects, Env.Sc. B.A. -III Hindi, English, History, Geography, Political Sc. Env. Sc.	60 60	2014–15	1. प्रो. आर.पी. दास, विश्वविद्यालय प्रबंध संस्थान 2. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 3. प्रो. एन.के. बाघमार भूगोल अध्ययनशाला	<u>निरीक्षण तिथि :- 05.09.2014</u> 1. महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला में संचालित है, नए भवन के लिए टेन्डर हो चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। 2. महाविद्यालय में दो नियमित प्राध्यापक हैं एवं आठ अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं। 3. ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों के 2 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। 4. अंततः विज्ञान, एवं भूगोल में प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला—दुर्ग	B.A. -III Hindi, English, Sociology , Economics, Geography B.Sc.-III Hindi, English, Botany, Zoology, Chemistry	120 60	2014–15	1. प्रो. एस.के. जाधव, अध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 2. प्रो. एन.के. बाघमार भूगोल अध्ययनशाला	<u>निरीक्षण तिथि :- 22.09.2014</u> 1. बी.ए. - III के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं। बी.एस—सी. भाग— III के लिये प्रयोगशाला में उपकरणों की आवश्यकता होगी पर्याप्त उपकरण नहीं है। बी.काम. तीन के लिये (60) छात्रों के लायक ही कक्ष है। 2. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य एवं पांच नियमित सहा. प्राध्यापक

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
		B.Com. -III All Compulsory Subjects	100		3. डॉ. पी.सी. अग्रवाल, प्राचार्य, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर	है। अतिथि व्याख्याताओं की भी नियुक्ति है। महाविद्यालय शाला भवन में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माणाधीन है। पुस्तकालय में पुस्तकें छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं।
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा	B.Com. -II B.A. -II (F.C.-Hindi & English, Economics, Sociology, Political Sc.) B.Sc. -II (F.C.-Hindi & English, Physics, Chemistry, Maths)	60 60 60	2013-14	1. प्रो. के.के. घोष, अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला 2. प्रो. अमरकांत पाण्डेय, अर्थशास्त्र अ.शा. 3. डॉ. संतोष कुमार शर्मा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, गुरुर	निरीक्षण तिथि : 29.09.2014 दिनांक 29.09.2014 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा का B.Com-II-60 seats, B.A.-II 60 seats तथा B.Sc. II 60 seats की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय शास. कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में संचालित हो रहा है। छात्रों की संख्या 237 है। वर्तमान में वाणिज्य में एक नियमित शिक्षक तथा एक अतिथि शिक्षक, रसायन में एक अतिथि, भौतिकी – एक अतिथि शिक्षक तथा गणित में एक समाज शास्त्र में एक-एक अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं। B.A. में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में एक-एक अतिथि शिक्षक हैं। पुस्तकालय में पस्तकें हैं। प्रयोगशाला में सामग्री तथा उपकरण है। भविष्य में कुछ पुस्तकें तथा प्रयोगशाला उपकरण, गैस आदि की व्यवस्था करना उचित होगा 6 Class Room है। स्वयं का भवन तथा नियमित शिक्षकों का चयन आवश्यक है। सम्बद्धता हेतु अग्रेसित।

03. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोडला, जिला—कबीरधाम का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम “शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला—कबीरधाम” स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोडला, जिला—कबीरधाम के नाम परिवर्तन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पत्र पृ. क्र. एफ 17-1/2014/38-1 दिनांक 25.09.2014 के द्वारा “शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला—कबीरधाम” प्रदान किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

- विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14/10/2014
 04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम “शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद” स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद के नाम परिवर्तन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पत्र पृ. क्र. एफ 17-1/2014/38-1 दिनांक 25.09.2014 के द्वारा “शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद” प्रदान किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना –

1. महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर
2. श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर
3. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर

टीप : महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर सत्र 2010-11 से 2014-15 तक, श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर सत्र 2011-12 से 2014-15 तक एवं जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर सत्र 2011-12 से 2014-15 तक की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त 3 महाविद्यालयों की आगामी सम्बद्धता के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

06. Regulation 149 के संशोधन के प्रस्ताव विचार करना।

टीप : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2013 के परिपालन में विनियम क्र. 149 – “Inclusion of Grade & Credit Points in Mark sheet” जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्यापन वाले विषयों पर ही सत्र 2013-14 से प्रभावी की गई है। अब इसे सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी सत्र 2014-15 से प्रभावी किये जाने के लिए संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव निम्नांकित है :–

Present Provision	Proposed Provision
1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.	1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD and affiliated colleges under the provision of the Ordinance 170.

07. हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न है।

08. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
2	डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
3	शासकीय कंगला माझी महाविद्यालय डॉडी, जिला—बालोद (छ.ग.)

4	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी
6	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
7	नवीन शास. कालेज बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
8	देव संस्कृति महाविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, सेकटर-6, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
9	इंदिरा गांधी शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, दुर्ग
10	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग
11	राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

09. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1281 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 11 / 09 / 2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.09.2014 अपराह्न 03.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
3.	प्रो. भगवन्त सिंह	—	सदस्य
4.	प्रो. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
5.	प्रो. सी.डी. अगाशे	—	सदस्य
6.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
8.	प्रो. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
9.	प्रो. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Com.-III -	120	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.08.2014</p> <p>पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 612/अका./2014 दिनांक 28.06.2014 के परिपालन में आज निरीक्षण समिति के समन्वयक प्रो. आर.पी. दास एवं सदस्य प्रो. पी.सी. अग्रवाल ने अवलोकन किया।</p> <p>समिति ने निरीक्षण में पाया कि शास. महाविद्यालय, अभनपुर में अधोसंरचना पर्याप्त है संतोषप्रद है।</p> <p>समिति एक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) में नियुक्ति की और ग्रंथालय हेतु 10000/-की पुस्तकें और क्रय करने की अनुशंसा करती है।</p>	<p>निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. अंतिम वर्ष (गणित) पी.जी.डी.सी.ए. बी.काम.-प्रथम वर्ष एम.ए. अंतिम वर्ष (राजनीति शास्त्र) एम.ए. अंतिम वर्ष (हिन्दी)	25 30 60 25 30	2014-15 2013-14	निरीक्षण तिथि : 30.08.2014 अधोसंरचना संतोषजनक है। शर्तें :- 1. विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों का पालन किया जावे। 2. आवश्यक शुल्क जमा किया जावे। 3. गणित में 75 हजार, पी.जी.डी.सी. में 40 हजार, बी.काम. में 30 हजार, राजनीति शास्त्र में 30 हजार हिंदी में 30 हजार रूपयों की पुस्तकें क्रय करने। 4. गणित में एक, पी.जी.डी.सी.ए. में एक, राजनीति शास्त्र में दो एवं हिंदी में 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति के शर्त पर एम.एस.सी. गणित अंतिम, पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. प्रथम वर्ष, एम.ए. अंतिम राजनीति, एम.ए. अंतिम हिंदी सत्र 2014-15 से प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
3	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, दुर्ग	PGDCA	30	2014-15	निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 979 / अका. / 2014 दिनांक 14.08.2014 के संदर्भ में PGDCA 30 सीट के लिये निरीक्षण किया और पाया :- 1. अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 और कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. वाचनालय में (ग्रन्थालय) में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की 10-10 पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है। 4. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4	अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर	New Course B.B.A. -I D.C.A. M.S.W. - Prev. Seat Increase B.Com.-I	30 30 20 30	2014–15	<p><u>निरीक्षण तिथि : 21.08.2014</u> पत्र क्र. 922 / अका./ 2014 दिनांक 08.08.2014 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। D.C.A. (30 सीट) के लिये 15 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। परिनियम 28 में दो कम्प्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करना आवश्यक है। पुस्तकालय में D.C.A. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की कम से कम 5-5 पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। College has adequate books in library for commerce and appointed 3 Teachers under 28 and 3 more are working on adhoc basis. For running BBA programme they have to procure books worth Rs. 10,000 and already appointed one Teacher under Sec. 28 and one more need to be appointed. For MSW programme two teachers are identified but are to be appointed under section 28. Books worth Rs. 5000/- are urgently to be purchased from MSW programme. classrooms are already existing and 4 are under construction will be under use within a month time. So infrastructure is adequate. 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>

03. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार, शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने एवं सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जावे।

04. अविवा कालेज, बैरन बाजार, रायपुर की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अविवा कॉलेज बैरन बाजार, रायपुर का सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालय देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

05. राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव के सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव का सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना –

1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला—धमतरी
2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पद्मनाभपुर, दुर्ग

निर्णय : 1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला—धमतरी

2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पद्मनाभपुर, दुर्ग

उपरोक्त 04 महाविद्यालयों की सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

07. Revised Regulation 149-B के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल से परीक्षण कराया जावे तथा उनसे प्राप्त अनुशंसा कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

08. Revised Regulation 149-E के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : Ordinance 74 के संचालित M.Lib. I.Sc. Course में Grade एवं Cradit Point शामिल करने हेतु तैयार Regulation 149 E द्वारा Marksheets/Result तैयारी के दौरान तकनीकी त्रुटी (Conflict between Ordinance 74 and Regulation 149 E) को ध्यान में रखते हुए Regulation 149 E में निम्नानुसार प्रस्तावित संशोधन की अनुशंसा की गई –

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 6.0 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.	S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 5 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.
S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 6.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:	S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 5 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:

i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination.	i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination.
ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.	ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.

09. आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने एवं सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर संबंधित परीक्षार्थी को केवल सैद्धांतिक परीक्षा देनी होगी तथा आंतरिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के अंक पूर्व के ही होंगे। आंतरिक मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया सैद्धांतिक परीक्षा के 10 दिन पूर्व सम्पन्न कराकर उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजी जावे। आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावे।

10. 0.50 से 0.14 परफार्मेंस इंडेक्स प्राप्त महाविद्यालयों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालयों के परफार्मेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

- (1) वे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.14 से 0.50 होने के फलस्वरूप शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य पूर्ति हेतु पत्र भेजने पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए, उन्हें सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
 - (2) ऐसे 37 महाविद्यालय जिन्होंने परिनियम 28 के तहत विज्ञापन का अनुमोदन करा लिया है, वे चार माह की अवधि के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को अवगत कराया जावे अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 - (3) ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने पत्र पर कार्यवाही करते हुए परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि किया है परन्तु परफार्मेंस इंडेक्स 0.50 से कम है वे अपने परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही 4 माह के अंदर पूरा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 - (4) ऐसे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.6 या 0.6 से अधिक है वे पुनः परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के लिए कमी की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें, जिससे उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 मई को प्रदान किये जाने वाले ट्राफी के लिए शामिल किया जा सके।
11. दुर्गा महाविद्यालय में एम.फिल. वाणिज्य एवं राजनीति शास्त्र के सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।
- निर्णय :** सभी एम.फिल. पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या की समानता को ध्यान में रखते हुए सत्र 2015–16 से एम.फिल. वाणिज्य में 10 सीट एवं राजनीति विज्ञान में 10 सीट निर्धारित किया जावे।
12. सत्र 2014–15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :—

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला—दुर्ग
2	सत राजा राम सदाचारी नागरिक महाविद्यालय, डॉडी लोहारा, जिला—बालोद (छ.ग.)
3	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को भिलाई जि.—दुर्ग
4	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)
5	कर्मा माता कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला—दुर्ग (छ.ग.)
6	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
7	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
8	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
9	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम—फरी, पोस्ट—बिजभाटा, जिला—बेमेतरा (छ.ग.)

10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला—बेमेतरा
11	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, प्लाट नं. 1268, ग्राम—चंद्रखुरी, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
12	शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतर्इ जिला—दुर्ग (छ.ग.)
13	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला—बलौदाबाजार
14	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला—बालोद (छ.ग.)
15	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला—बालोद (छ.ग.)
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, जिला—महासमुद्र
17	शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला—बालोद (छ.ग.)
18	आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब शास. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला—कबीरधाम
19	शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला—बालोद (छ.ग.)
20	सांदिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लाट नं. 44, तह—धमधा, मुरमुदा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
21	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)
22	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
23	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
24	आर्यवर्त शिक्षा महाविद्यालय, रुआंबांधा, भिलाई, जिला—दुर्ग
25	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग
26	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव—आर, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
27	शास. चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
28	शास. महाविद्यालय, घुमका, जिला—राजनांदगांव (छ.ग.) (सत्र 2013—14)
29	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुशा (राजिम) जिला—गरियाबंद (सत्र 2013—14)
30	भिलाई कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी वार्ड नं.—4, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
31	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
32	शाति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ.ग.)
33	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
34	जगद्गुरु शंकराचार्य कालेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014—15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। बी.एड. महाविद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी एवं बी.एड. संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त होने पर ही उनके सम्बद्धता आदेश निर्गमित किये जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

पृ. क्र. 1282 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014
प्रतिलिपि :-

कुलसचिव
सचिव

रायपुर, दिनांक: 11 / 09/2014

- समस्त संकायाध्यक्षों को,
- सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय,
- वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

५८७२ शासन
३०/९/१४

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक / 09 / 2014

क्रमांक—एफ 17—१/2014/38—१: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय बोडला, जिला—कबीरधाम का नाम “शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बोडला जिला—कबीरधाम” नामकरण किया जाता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम०एल०गुप्ता)

उप सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
नया रायपुर, दिनांक २५ / ०९ / २०१४

पु. क्रमांक —एफ 17—१/2014/38—१

प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छ०ग० राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्ड्रवती भवन, नया रायपुर, छ०ग०।
7. जिला—कलेक्टर, जिला—कबीरधाम छ०ग०।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोडला, जिला—कबीरधाम, छ०ग०।
10. कुल सचिव प०० रविशंकर शुक्ल, विठ्ठल रायपुर, छ०ग०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।

उप सचिव
२५/९/१४

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक /09/2014

क्रमांक—एफ 17—1/2014/38—1: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय देवभोग, जिला—गरियाबंद का नाम “शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद” नामकरण किया जाता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम०एल०गुप्ता)

उप सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
नया रायपुर, दिनांक 25/09/2014

प्रक्रमांक —एफ 17—1/2014/38—1
प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छ०ग० राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नया रायपुर, छ०ग०।
7. जिला—कलेक्टर, जिला—गरियाबंद, छ०ग०।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय देवभोग, जिला—गरियाबंद, छ०ग०।
10. कुल सचिव पं० रविशंकर शुक्ल, विधि० रायपुर, छ०ग०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।

उप सचिव
छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालयीन टीप

विषय: हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश का अनुमोदन
विषयक।

- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पायलट कम्यूनिटी कालेज स्कीम के अंतर्गत शासकीय दू०ब०महिला महाब० द्वारा हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम पर गृहविज्ञान अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन गृहविज्ञान संकाय द्वारा दिनांक 12/09/2014 को किया गया।
- यह एक पत्रोत्पादि पाठ्यक्रम है।
- इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है।
- इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 12वीं उत्तीर्ण है।
- पाठ्यक्रम का गृहविज्ञान संकाय से अनुमोदित अध्यादेश संलग्न है।
- पाठ्यक्रम का गृहविज्ञान संकाय से अनुमोदित विस्तृत पाठ्यक्रम संलग्न है।
- पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, राज्यशासन से अनुमति अप्राप्त है।
- पायलट कम्यूनिटी कालेज स्कीम यू०जी०सी० से स्वीकृत है एवं 49 लाख रु. का अनुदान भी प्राप्त हो चुका है।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र.

/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक:

/10/2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.09.2014 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Com.-III -	120	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.08.2014 पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 612/अका./2014 दिनांक 28.06.2014 के परिपालन में आज निरीक्षण समिति के समन्वयक प्रो. आर.पी. दास एवं सदस्य प्रो. पी.सी. अग्रवाल ने अवलोकन किया। समिति ने निरीक्षण में पाया कि शास. महाविद्यालय, अभनपुर में अधोसंरचना पर्याप्त है संतोषप्रद है। समिति एक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) में नियुक्ति की और ग्रंथालय हेतु 10000/-की पुस्तकें और क्रय करने की अनुशंसा करती है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : आदेश पत्र क्र. 1587/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 14.10.2014 जारी किया गया।						
2	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. अंतिम वर्ष (गणित) पी.जी.डी.सी.ए. बी.काम.-प्रथम वर्ष एम.ए. अंतिम वर्ष (राजनीति शास्त्र)	25 30 60 25	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 30.08.2014 अधोसंरचना संतोषजनक है। शर्त :-</p> <ol style="list-style-type: none"> विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों का पालन किया जावे। आवश्यक शुल्क जमा किया 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		एम.ए. अंतिम वर्ष (हिन्दी)	30	2013–14	<p>जावे।</p> <p>3. गणित में 75 हजार, पी.जी.डी.सी. में 40 हजार, बी.काम. में 30 हजार, राजनीति शास्त्र में 30 हजार हिन्दी में 30 हजार रूपयों की पुस्तकें क्रय करने।</p> <p>4. गणित में एक, पी.जी.डी.सी.ए. में एक, राजनीति शास्त्र में दो एवं हिन्दी में 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति के शर्त पर एम.एस.सी. गणित अंतिम, पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. प्रथम वर्ष, एम.ए. अंतिम राजनीति, एम.ए. अंतिम हिन्दी सत्र 2014–15 से प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है।</p>	
3	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, दुर्ग	PGDCA	30	2014–15	<p>निरीक्षण तिथि : 21.08.2014</p> <p>पत्र क्र. 979/अका./2014 दिनांक 14.08.2014 के संदर्भ में PGDCA 30 सीट के लिये निरीक्षण किया और पाया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 और कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. वाचनालय में (ग्रंथालय) में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की 10–10 पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है। 4. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेन्सड़ सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये। 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>

पालन : आदेश पत्र क्र. 1520/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 10.10.2014 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4	अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर	<u>New Course</u> B.B.A.-I D.C.A. M.S.W. - Prev. <u>Seat Increase</u> B.Com.-I	30 30 20 30	2014-15	निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 922/अका./2014 दिनांक 08.08.2014 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया कि :— 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. D.C.A. (30 सीट) के लिये 15 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. परिनियम 28 में दो कम्प्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करना आवश्यक है। 4. पुस्तकालय में D.C.A. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की कम से कम 5-5 पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। 5. College has adequate books in library for commerce and appointed 3 Teachers under 28 and 3 more are working on adhoc basis. 6. For running BBA programme they have to procure books worth Rs. 10,000 and already appointed one Teacher under Sec. 28 and one more need to be appointed. 7. For MSW programme two teachers are identified but are to be appointed under section 28. 8. Books worth Rs. 5000/- are urgently to be purchased from MSW programme. 8 classrooms are already existing and 4 are under construction will be under use within a month time. So infrastructure is adequate.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

पालन : आदेश पत्र क्र. 1518/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 10.10.2014 जारी किया गया।

03. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार, शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने एवं सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जावे।
 पालन : नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

04. अविवा कालेज, बैरन बाजार, रायपुर की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अविवा कॉलेज बैरन बाजार, रायपुर का सत्र 2014-15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।
 पालन : आदेश पत्र क्र. 1491/अका./2014 रायपुर, दिनांक 10.10.2014 जारी किया गया।

05. राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव के सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव का सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

पालन : आदेश पत्र क्र. 1497/अका./2014 रायपुर, दिनांक 10.10.2014 जारी किया गया।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना –

1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला-धमतरी
2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पदमनाभपुर, दुर्ग

निर्णय : 1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला-धमतरी

2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पदमनाभपुर, दुर्ग

उपरोक्त 04 महाविद्यालयों की सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

पालन : आदेश पत्र क्र. 1489/अका./2014 रायपुर, दिनांक 10.10.2014 जारी किया गया।

07. Revised Regulation 149-B के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल से परीक्षण कराया जावे तथा उनसे प्राप्त अनुशंसा कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

पालन : प्रक्रियाधीन है।

08. Revised Regulation 149-E के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : Ordinance 74 के संचालित M.Lib. I.Sc. Course में Grade एवं Cradit Point शामिल करने हेतु तैयार Regulation 149 E द्वारा Marksheets/Result तैयारी के दौरान तकनीकी त्रुटी (Conflict between Ordinance 74 and Regulation 149 E) को ध्यान में रखते हुए Regulation 149 E में निम्नानुसार प्रस्तावित संशोधन की अनुशंसा की गई –

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 6.0 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.	S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 5 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.
S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 6.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or	S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 5 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or

<p>ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination. ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available. 	<p>ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination. ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.
--	--

पालन : प्रक्रियाधीन है।

09. आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने एवं सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर संबंधित परीक्षार्थी को केवल सैद्धांतिक परीक्षा देनी होगी तथा आंतरिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के अंक पूर्व के ही होंगे। आंतरिक मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया सैद्धांतिक परीक्षा के 10 दिन पूर्व सम्पन्न कराकर उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजी जावे। आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावे।

पालन : गोपनीय विभाग को कार्यवाही किये जाने हेतु नस्ती प्रेषित कर दी गई है।

10. 0.50 से 0.14 परफार्मेंस इंडेक्स प्राप्त महाविद्यालयों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालयों के परफार्मेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

- (1) वे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.14 से 0.50 होने के फलस्वरूप शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य पूर्ति हेतु पत्र भेजने पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए, उन्हें सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
- (2) ऐसे 37 महाविद्यालय जिन्होंने परिनियम 28 के तहत विज्ञापन का अनुमोदन करा लिया है, वे चार माह की अवधि के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को अवगत कराया जावे अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- (3) ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने पत्र पर कार्यवाही करते हुए परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि किया है परन्तु परफार्मेंस इंडेक्स 0.50 से कम है वे अपने परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही 4 माह के अंदर पूरा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- (4) ऐसे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.6 या 0.6 से अधिक है वे पुनः परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के लिए कमी की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें, जिससे उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 मई को प्रदान किये जाने वाले ट्राफी के लिए शामिल किया जा सके।

पालन : प्रक्रियाधीन है।

11. दुर्गा महाविद्यालय में एम.फिल. वाणिज्य एवं राजनीति शास्त्र के सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सभी एम.फिल. पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या की समानता को ध्यान में रखते हुए सत्र 2015–16 से एम.फिल. वाणिज्य में 10 सीट एवं राजनीति विज्ञान में 10 सीट निर्धारित किया जावे।

पालन : निर्णयानुसार दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर को आदेश पत्र क्र. 1593/अका./2014 रायपुर, दिनांक 14.10.2014 जारी किया गया।

12. सत्र 2014–15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला—दुर्ग
2	संत राजा राम सदाशी नागरिक महाविद्यालय, डॉडी लोहारा, जिला—बालोद (छ.ग.)
3	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को भिलाई जि.—दुर्ग
4	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)
5	कर्मा माता कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला—दुर्ग (छ.ग.)
6	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
7	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
8	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
9	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम—फरी, पोस्ट—बिजभाटा, जिला—बेमेतरा (छ.ग.)
10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला—बेमेतरा
11	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, प्लाट नं. 1268, ग्राम—चंद्रखुरी, जिला—दुर्ग
12	शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतर्इ जिला—दुर्ग (छ.ग.)
13	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजा, जिला—बलौदाबाजार
14	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला—बालोद (छ.ग.)
15	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला—बालोद (छ.ग.)
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, जिला—महासमुद्र
17	शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला—बालोद (छ.ग.)
18	आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहेब शास. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला—कबीरधाम
19	शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला—बालोद (छ.ग.)
20	सांविधनी एकेडमी, अष्टोटी, प्लाट नं. 44, तह—धमधा, मुरमुदा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
21	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)
22	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
23	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
24	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रुआंबांधा, भिलाई, जिला—दुर्ग
25	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग
26	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव—आर, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
27	शास. चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
28	शास. महाविद्यालय, घुमका, जिला—राजनांदगांव (छ.ग.) (सत्र 2013–14)
29	शास. कवना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला—गरियाबंद (सत्र 2013–14)
30	भिलाई कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी वार्ड नं.—4, दुर्ग मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
31	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
32	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ.ग.)
33	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
34	जगदगुरु शंकराचार्य कालेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014–15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। बी.एड. महाविद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी एवं बी.एड. संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त होने पर ही उनके सम्बद्धता आदेश निर्गमित किये जावे।

पालन : निर्णयानुसार आदेश जारी की जा रही है।

उप कुलसचिव (अकार)

५८७२ शा.व्या।

३०/९/१४

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक /09/2014

क्रमांक—एफ 17—१/2014/38—१: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय बोडला, जिला—कबीरधाम का नाम “शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोडला जिला—कबीरधाम” नामकरण किया जाता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम०एल०गुप्ता)
उप सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
नया रायपुर, दिनांक २५/०९/२०१४

पृ. क्रमांक —एफ 17—१/2014/38—१
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छ०ग० राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नया रायपुर, छ०ग०।
7. जिला—कलेक्टर, जिला—कबीरधाम छ०ग०।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोडला, जिला—कबीरधाम, छ०ग०।
10. कुल सचिव प० रविशंकर शुक्ल, वि०वि० रायपुर, छ०ग०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।

25/9/2014
उप सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक /09/2014

क्रमांक—एफ 17—1/2014/38—1: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय देवभोग, जिला—गरियाबंद का नाम “शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला—गरियाबंद” नामकरण किया जाता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम०एल०गुप्ता)
उप सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
नया रायपुर, दिनांक २५/०९/२०१४

प्रमुख सांकेतिक संस्कारक समिति के द्वारा दिनांक १७-१-२०१४/३८-१

प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छ०ग० राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ०ग०।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रधनुषी भवन, नया रायपुर, छ०ग०।
7. जिला—कलेक्टर, जिला—गरियाबंद, छ०ग०।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय देवभोग, जिला—गरियाबंद, छ०ग०।
10. कुल सचिव पं० रविशंकर शुक्ल, विठ्ठली रायपुर, छ०ग०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।

उप सचिव
२५/९/२०१४

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालयीन टीप

विषय: हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश का अनुमोदन
विषयक।

- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पायलट कम्यूनिटी कालेज स्कीम के अंतर्गत शासकीय दू०ब०महिला महा० द्वारा हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम पर गृहविज्ञान अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन गृहविज्ञान संकाय द्वारा दिनांक 12/09/2014 को किया गया।
- यह एक पत्रोत्पादि पाठ्यक्रम है।
- इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है।
- इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 12वीं उत्तीण है।
- पाठ्यक्रम का गृहविज्ञान संकाय से अनुमोदित अध्यादेश संलग्न है।
- पाठ्यक्रम का गृहविज्ञान संकाय से अनुमोदित विस्तृत पाठ्यक्रम संलग्न है।
- पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, राज्यशासन से अनुमति अप्राप्त है।
- पायलट कम्यूनिटी कालेज स्कीम य०जी०सी० से स्वीकृत है एवं 49 लाख रु. का अनुदान भी प्राप्त हो चुका है।

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय दूब. महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
कालीबाड़ी चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

www.dbgirls.org, e-mail: dbgirls@yahoo.co.in, Phone/Fax: 0771-2229248

क..... / कम्युनिटी कॉलेज, स्वीकृति / 2014

रायपुर, दिनांक - 02 / 06 / 2014

291

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

Dr Hemant Shomy
II

विषय:- यूजी.सी. द्वारा महाविद्यालय में कम्युनिटी कॉलेज अंतर्गत Diploma in Hospitality Management की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक D.o. No. F.1-427/2014 (CC), दिनांक 21 / 05 / 2014।

महोदय,

अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करना है कि यूजी.सी. ने अपनी Website में दिनांक 16.05.2014 को नोटिस जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य में इस महाविद्यालय के लिए Diploma in Hospitality Management प्रारंभ करने के लिये राशि 49.30 लाख की स्वीकृति दी है।

महाविद्यालय में Diploma पाठ्यक्रम (Hospitality Management) सत्र 2014-15 से प्रारंभ करेगा। इस हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अरविन्द गिरोलकर
(डॉ. अरविन्द गिरोलकर)
PRINCIPAL
Govt. D.B. Girls P.G. College
शास. दूब. महिला स्नात. महाविद्यालय
रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क..... / कम्युनिटी कॉलेज, स्वीकृति / 2014

रायपुर, दिनांक - 02 / 06 / 2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

2. कृपया निम्नलिखित बाबतों के बारे में जानकारी दें।

(डॉ. अरविन्द गिरोलकर)

प्राचार्य
शास. दूब. महिला स्नात. महाविद्यालय
रायपुर छत्तीसगढ़

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहदुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

दूरभाष Phone : कार्यालय Off: 011-2323 9597

फैक्स Fax: 011-2323 6347, e-mail: kpsingh.ugc@nic.in

डॉ. के. पी. सिंह
संयुक्त सचिव
Dr. K.P. Singh
Joint Secretary

D.O.No.F.1-427 /2014 (CC)

Speed Post

May 21, 2014

Dear Sir/Madam,

21 MAY 2014

Kindly refer to the proposal of your institution for introduction of Community College scheme from the academic session 2014-15. In this connection, this is to inform you that the UGC has approved your proposal for implementing the scheme of Community College in the specializations and as per the intake given below :-

Sl.No.	Specialisation/Trade	Intake
1.	Diploma in Hospitality Management	50

Further, UGC has also approved a grants of Rs.49.30 lakhs to the college for a period of two years for running the Community College as per the details given below :-

Sl. No.	Budget Head	Amount (Rupees in lakhs)	
		Year 1	Year 2
Grant-in-aid General – 35 (Non-recurring)			
i.	Equipments	5.00	3.00
ii.	Minor repairs of Labs/workshops/classrooms	-	-
iii.	Total (year-wise)	5.00	3.00
Grant-in-aid General – 31 (Recurring)			
iv.	Honorarium to existing/visiting/private faculty	7.00	7.00
v.	Honorarium to Principal, Coordinator	0.70	0.70
vi.	Hiring charges for Lab Attendant	1.20	1.20
vii.	Faculty training	.50	.50
viii.	Consumables	1.25	1.25
ix.	Curriculum Development	1.00	1.00
x.	Travel/Industrial visits	1.00	1.00
xii.	Seminars	.50	.50
xiii.	Admission/Examination/Assessment	1.00	1.00
xiv.	Scholarship to students	5.00	5.00
xv.	Office expenses/contingencies	1.50	1.50
Total (year-wise)		20.65	20.65

Grand Total for first year = 5.00 (NR) + 20.65 (R) = Rs. 25.65 Lakhs (Rupees Twenty Five Lakhs Sixty Five Thousand Only)

Grand Total for second year = 3.00 (NR) + 20.65 (R) = Rs. 23.65 Lakhs (Rupees Twenty Three Lakhs Sixty Five Thousand Only)

Total for Two Years: Rs. 49.30 Lakhs

This approval is subject to the following terms and conditions :-


1. College is recognized under Section 2(f) and 12(B) of the UGC Act and receiving General Development Assistance from the UGC.
2. College shall ensure partnership of the industry in the development of the curriculum and alignment of the skill components of the curriculum with the National Occupation Standards developed by the respective Sector Skill Councils.
3. Monitoring/evaluation and updating of the curriculum will be done periodically in consultation with the industry partner keeping in view their requirements and changes in the National Occupation Standards.
4. Industry partner(s) will also be given a clear and well defined role in the assessment of learners.

Other provisions as laid down with guidelines available on UGC website may also be followed strictly. Necessary grants for starting the programmes will be released by the UGC shortly. In the meanwhile, you are requested to proceed further towards the starting of the Community College scheme. A copy of the Report of the Expert Committee is also enclosed for your perusal and record. Observations/suggestions of the Committee may please be kept in mind while implementing the programme.

In case of any query, you may get in touch with Dr. Nikhil Kumar, Education Officer, UGC (Ph. No. 011-23218120, e-mail : nikhil.ugc@nic.in).

With kind regards,

Yours sincerely,


(K.P. Singh)

The Principal
Govt. D.B. Girls P.G. College
Kalibadi Chowk, Raipur (Chhatisgarh)

*Approved by
Faculty.***One year Diploma course in Hospitality Management**

1. The Course shall be known as Diploma in Hospitality Management. (DHM)
2. The duration of the course will be one year, full time comprising of annual pattern including admission and examination.
3. The minimum qualification for application will be Higher Secondary. (10+2) conducted by the CG board Raipur or any other examination (Recognised equalvilent there to by the University for the purspose)
4. State Government rules will be followed in admission. English and Hindi shall be the medium of conduct of the study.
5. In order to pass the examination a candidate must obtain at least 36% marks in each paper. A candidate who secures 60% marks or more shall be awarded first division. A candidate who secures less then 60% marks but 45 % or more than 45% shall be awarded second division. A candidate who secures less then 45% marks but 36% or more than 36% shall be awarded third division.
6. The student have to under go for Industrial Training in any institute related to the subject for a period of 4 week. After completion of training they have to submit the certificate and project report for evaluation.
7. The matters not covered in Acts/Ordinance shall be governed by the Ordinance Nos. 5 and 6 and other provisions of the University rules.
8. A candidate failing in one or more subject will be required to clear it in forthcoming annual examinations. On successful completion of the course the candidate shall be awarded Diploma.

Palleri
12/9/14.
12.9.14.
12.9.14.

Mg
12.9.14
shop
12/9/14

JK Bharadwaj

12/09/14
12/9/2014
bit
12.9.14

Tugnath
12/9/14

One year Diploma course in Hospitality Management

1. The Course shall be known as Diploma in Hospitality Management. (DHM)
2. The duration of the course will be one year, full time comprising of annual pattern including admission and examination.
3. The minimum qualification for application will be Higher Secondary. (10+2) conducted by the CG board Raipur or any other examination (Recognised equalvilent there to by the University for the purspose)
4. State Government rules will be followed in admission. English and Hindi shall be the medium of conduct of the study.
5. In order to pass the examination a candidate must obtain at least 36% marks in each paper. A candidate who secures 60% marks or more shall be awarded first division. A candidate who secures less than 60% marks but 45 % or more than 45% shall be awarded second division. A candidate who secures less than 45% marks but 36% or more than 36% shall be awarded third division.
6. The student have to undergo for Industrial Training in any institute related to the subject for a period of 4 week. After completion of training they have to submit the certificate and project report for evaluation.
7. The matters not covered in Acts/Ordinance shall be governed by the Ordinance Nos. 5 and 6 and other provisions of the University rules.
8. A candidate failing in one or more subject will be required to clear it in forthcoming annual examinations. On successful completion of the course the candidate shall be awarded Diploma.

*A. S. Choudhary
30.8.14* *Choudhary
30.8.14* *30/8/2014* *30/8/2014*
*A. S. Choudhary
30.8.14*

SYLLABUS

**ONE YEAR DIPLOMA IN HOSPITALITY
MANAGEMENT**

OFFERED BY

FACULTY OF HOME SCIENCE

**GOVT. D.B. GIRLS' P.G. AUTONOMOUS COLLEGE,
RAIPUR (C.G.)**

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY

2013-2014

UNDER THE

PILOT COMMUNITY

[SETTING UP COMMUNITY COLLEGES ON PILOT BASIS (2013 SESSION) BY
STATE/ UT GOVERNMENTS WITH SUPPORT FROM GOVERNMENT OF INDIA]

(Signature)
HEAD,
Dept. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. D.B. Girls P.G. College
RAIPUR (C. G.)

Scheme of Examination :

One Year Diploma in Hospitality Management-

Sr. No.	Subjects	Autonomous Examinations			Total	
		Theory	Duration in hours	Internal marks		
1	Fundamentals of Hospitality Management and Communication skill		3	20	80	100
2	House Keeping Management		3	20	80	100
3	Front office Management		3	20	80	100
4	Food service Operation and management		3	20	80	100
5	Basic Accounting and Computer Application		3	20	80	100

PRACTICAL

	Practical -I	3	20	80	100
	Practical -II	3	20	80	100
	Project Work on Industrial Exposure Training (04 Week)	-	20	80	100

21

HEAD,

Dept. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR. (C.G.)

PRINCIPAL

Govt. D.B. Girls P.G. College
RAIPUR (C. G.)

A.S. 2014
30.08.14

M. G. S. A.
A. 2

30/08/2014

One Year Diploma in Hospitality Management Course Syllabus

S.N O.	Title of Paper	Contents	No. of Credits	No. of Session
1	Fundamentals of Hospitality Management and Communication Skill.	<p>Unit-I - Meaning of Hospitality, Tradition & History of Hospitality in India.</p> <p>Unit-II - Nature, scope and significance of Hospitality management, Job qualifications, personal attributes , issue faced by service staff.</p> <p>Unit-III - Quality of service and skills, introduction to communication skill and its significance in front office.</p> <p>Unit-IV - Direction of communication, Internal & Interpersonal communication,</p> <p>Unit-V - Supervisor and employee communications, Listing skills, Writing skills</p>	6	36
2	House Keeping Management	<p>Unit-I - Scope & Importance of Housekeeping , Types of House Keepers , Nature of housekeeping profession, Duties of a housekeeping staff.</p> <p>Unit-II - Functions of Housekeeping Department- Organisation, Job Description, Responsibilities of Housekeeping Department, Role of House keeping Manager, Relationship with other Departments.</p> <p>Unit-III - Basics & Designing of Flower arrangement.</p> <p>Unit-IV - The Linen and Uniform Room, Storage & Exchange Linen , Handling Guest Laundry.</p> <p>Unit-V - Selection and Design of Uniforms, Establishing par levels for Uniforms, Issuing and Exchanging of Uniforms.</p>	6	36

D.B.
HEAD,
 Dep't. of Home Science,
 Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College
 RAIPUR, (C.G.)

A. S. Singh
 30.08.14
A/2

Chirayu

3
Abhishek
 30.08.2014
A/2

PRINCIPAL
 Govt. D.B. Girls' P.G. College

3	Front Office Management	Unit-I	- Introduction to front office department, Organization Chart, Qualities of front office staff.		
		Unit-II	- Meaning of reservation, Importance of reservation process, Sources of reservation, Room availability		
		Unit-III	- Reservation process, Documenting Reservation details Reservation form, Reservation Slip, Reservation Chart Forecast Board, Computerized System.		
		Unit-IV	- Front office function, Duties of front office management & Receptionist, Check in of new arrivals, Check out	6	36
		Unit-V	Front office Reception skills and qualities, Communication skills, Effective Body language , Telephone skills :		
4	Food Service Operation and Management	Unit-I	- Establishment of Food service , Catering services, Foodservice Planning and Management, Profiles of successful food and beverage manager		
		Unit-II	- The Waiter, styles of Food service , Operations Management of Foodservice , Types of menu, Purchasing and storage of food, Inventory Control.		
		Unit-III	- Introduction and care of equipment- Glassware, Crockery Cutlery		
		Unit- IV	- Harmful effects of microorganisms, Environmental hygiene and sanitation, Hygiene in food handing and personnel hygiene, Safety procedure - Safety training some useful safety devices	6	36
		Unit- V	- Laws, Brief introduction to Factories act, with reference to working conditions, welfare, Health and safety, Food Safety Act, Salient features of Consumer Protection Act.		

2L
HEAD,
Dept. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR, (C.G.)

*A.S. Zegal
30.08.14*

A.P.

*J. J. Way
30.08.2014*

4

*PRINCIPAL
Govt. D.B. Girls P.G. Colleg.
RAIPUR (C. G.)*

5	Basic Accounting and Computer Application	Unit- I Unit -II Unit -III Unit- IV Unit-V	- Book Keeping, Purchases Book, Sales Book, Journal, Advantage of double entry systems - Front office accounting, Billing, E Billing, Profit and loss account - Night Audit, Importance and Role on the Hotel, Responsibilities of night auditors - IT in Hospitality, Computer Fundamentals & Windows - MS-Word, MS-Excel - Internet Applications to Front office, Application E-mail Introduction to Hotel website , Wireless Services Hotels, Introduction to tally.	6	36
1	Practical -I Housekeeping Practical -II Computer Skill & Accounting Project Work on Industrial Exposure Training- 04 Week			5	30
		Total		5	30
				4	24
				44	264

HEAD,
Dept. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR. (C.G.)

A. S. Jaiswal
30.08.14

R

PRINCIPAL
Govt. D.B. Girls P.G. College,
RAIPUR (C. G.)

J. Jaiswal
30/08/2014

One Year Diploma in Hospitality Management

Practical -I House Keeping

1. Flower Arrangement
2. Laundry Equipment
3. Stain removal
4. Food Service Style
5. Introduction to Equipment
6. Glassware
7. Crockery
8. Cutlery
9. Selection and Care of Equipment

Practical – II Computer Skill and accounting

1. Listening Skills
2. Writing Skills
3. Check In new arrivals
4. Check out
5. M.S. Word
6. M.S. Excel
7. E-mail
8. Book keeping
9. Billing
10. Purchase book
11. Sales Book
12. Profit & loss Account


HEAD,
Dept. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR, (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. D.B. Girls P.G. College
RAIPUR (C. G.)

Asst. Prof. /
30.08.14

REFERENCE BOOKS LIST

S.N O.	Title of Paper	Author	Publishers	Editi on
1	Principles of Hotel front office operations	Sue Baker, Pam Bradley and Jeremy Huyton		2 nd
2	Textbook of Hotel Housekeeping Management and Operations	Sudhir Andrews	Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.	
3	Hotel Housekeeping operations and Management	G. Raghubalan		
4	Professional Housekeeping	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	
5	Catering Management an Integrated Approach	Mohini Sethi Surjeet Malhan	Publishing for One World	2 nd
6	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-1
7	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-2
8	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-3
9	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-4
10	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-5
11	Encyclopaedia of Hotel and Hospitality Management	R.K. Arora	APH Publishing Corporation	V-6
12	Double entry book keeping	Grewell	T.B.S. Chand & Co. New Delhi	
13	Management Accounting	R.K. Sharma, Shashi K Gupta		
14	Accounting in hotel and Catering Industry	Richard Kotas		
15	Food & beverage service	Vijaydhawan	Frank Bros & Co. new Delhi	
16	Professional F & N service		Mc Millan India Ltd	


 Ajay 30/8/14
 Chaitanya
 30/8/14